प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **17/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Devnarayan Meena Add: 6, Anand nagar, tekri link road, Udaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खेरवाड़ा, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 25-02-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329321554536042 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 27.12.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 1554664557 दिनांक 31.01.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/17/25/133–34 दिनांक 31.01.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खेरवाड़ा ने जरिये पत्रांकः रीडर/सु.अ. अ.2005/2025/84 दिनांक 24.02.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर इस न्यायालय को अवगत कराया कि आवेदक ने ग्राम मोथली, तहसील खेरवाड़ा के मुकदमा संख्या 31/2001 निर्णय दिनांक 29.10.2001 श्री हुका पिता वीरजी बनाम सरकार जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा की सम्पूर्ण पत्रावली एवं निर्णय की प्रति की सूचना चाही गई थी। उक्त सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होकर उपखण्ड कार्यालय खेरवाड़ा से संबंधित है। अतः निवेदन है कि आवेदक को उपखण्ड कार्यालय खेरवाड़ा से सूचना दिलवाने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध उपखण्ड कार्यालय खेरवाड़ा से होने का अंकन करते हुए उपखण्ड कार्यालय खेरवाड़ा से सूचना दिलाये जाने हेतु निवेदन किया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(2) के अन्तर्गत प्रावधान है कि "जहां कोई आवेदन ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए लोक प्राधिकारी को किया जाता है–जिसकी विषय वस्तु अत्यधिक नजदीकी से दूसरे लोक प्राधिकारी के कार्यो से जुड़ी है, वहां लोक प्राधिकारी, जिसे ऐसा आवेदन किया गया है, आवेदन या इसके ऐसे भाग, जो युक्तियुक्त हो, को उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

में तुरंत आवेदक को सूचित करेगा। परन्तु इस उपधारा की अनुपालना में आवेदन का अंतरण यथाशक्य व्यवहारिक शीघ्र किया जायेगा, लेकिन किसी भी मामले में आवेदन की प्राप्ति की तिथि से पांच दिनों के बाद नहीं किया जायेगा।"

प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतरित नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खेरवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र का संबंधित लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा को अबिलम्ब अंतरित करें एवं भविष्य में अंतरण योग्य आवेदनों को निर्धारित समयावधि में अंतरित करने की कार्यवाही करें एवं अंतरण के संबंध में अपीलार्थी को भी सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 25-02-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर